

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

दिनांक 27/5/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... मुंडर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... मुंडर

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पदवारी ..... नयामर ..... व भू.अ.नि. .... मुंडर

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... अशर ...../नायब तहसीलदार ..... अशर की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... शरामर ..... तहसील ..... मुंडर व

जिला ..... डेहरा ..... की जमाबन्दी सम्बन्ध ..... 2074-77 ..... में खाता संख्या ..... 142 42 में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्धिकरण जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>शरामर</u>	<u>42, 142</u>	<u>रामेश्वर लाल</u>	<u>रामेश्वर</u>

Sh  
प्रभारी अधिकारी सिविल  
पीठासीन अधिकारी  
पंचायत समिति मुंडर  
(लोक अदालत)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 62

दिनांक :- 27/5/22

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार ..... अशर ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री ..... रामेश्वर ..... को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

Sh  
प्रभारी अधिकारी सिविल  
पीठासीन अधिकारी  
पंचायत समिति मुंडर  
(लोक अदालत)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर